प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'एक'

[17/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 6457]

परिशिष्ट का प्रपत्र अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 6457

तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु मापदंड
(सहायक प्रबंधक से उप प्रबंधक पद श्रेणी)

1. इन पद श्रेणीयों में पदोन्नति हेतु सेवायुक्तों के वर्ष **2010–11 से** 2014–15 तक गोपनीय चरित्रावली विचारण क्षेत्र में लिया जाकर विचार किया जावेगा। विचारण अवधि की **पांच वर्ष** की चरित्रावली में 1 वर्ष की चरित्रावली अप्राप्त होने पर पूर्ववर्ती 2 वर्षो तक की चरित्रावली विचारण क्षेत्र में ली जावेगी एंव 2 वर्ष की चरित्रावली अप्राप्त होने पर चरित्रावली प्राप्त की जाकर तदनुसार उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति की पात्रता हेतु विचारण में ली जाकर पात्रता का निर्धारण तदनुसार किया जावेगा।

2. उक्त पद में पदोन्नति के लिए विचाराधीन पांच वर्षो की चरित्रावली में से यदि दो वर्ष की चरित्रावली **'ग'** श्रेणी में रहती है या किसी भी एक वर्ष में **'घ'** श्रेणी रहती है अथवा विपरीत अभियुक्ति रहती है तो वे पदोन्नति के अनुपयुक्त होगें।

3. विचारण क्षेत्र अन्तर्गत, गोपनीय चरित्रावली में यदि किसी एक वर्ष की चरित्रावली **'ग'** श्रेणी की हो तो, विचारण अवधि की गोपनीय चरित्रावली में एक **उत्कृष्ट (+क)** होना अनिवार्य होगा।

4. विचारण क्षेत्र में ली गई अवधि में जो कर्मचारी दंडित हुए है, वे दंड की प्रभावशीलता अवधि में पदोन्नति के पात्र नहीं होगें।

5. ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलित है या किसी आपराधिक आरोप के आधार पर, अभियोजन के प्रकरणों में, जिनमें चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई हो, नस्ती में आरोप पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया हो या आरोप पत्र दिया गया हो, या सेवानियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही/राशि वसूली हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया हो तो उनका निर्णय सीलबंद लिफाफे में रखा जावेगा।

6. संघ के सेवानियम के कडिका 18 (4) अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर प्रयोग संबंधी सफल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही पदोन्नति पर विचारणीय होगा।

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

E:\Vidhansabha.doc

(5)

परिशिष्ट का प्रपत्र ब

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 6457

पदोन्नति के अनुपयुक्त पाये गये सहायक प्रबंधकों की सूची

ऐसे कर्मचारी जो मूल्यांकन में अनुपयुक्त पाये गये उनका विवरण कारण सहित निम्नानुसार है :–

1 **श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा**, की विचारण क्षेत्र में पांच वर्षो की चरित्रावली में **चार ग** श्रेणी की चरित्रावली अंकित होने से एंव विचारण अवधि में दंडादेश प्रभावशील होने से ।

2 **श्री सतीश कुमार शुक्ला** की विचारण क्षेत्र में वर्ष 2012–13 में ग श्रेणी अंकित होने एंव विचारण अवधि में एक भी +क न होने के साथ दंडादेश की शेष राशि लंबित होने से तथा आदेश दिनांक 23–8–13 से 2 वेतनवृद्वि एंव दिनांक 19–5–14 से राशि वसूली के साथ एक वेतनवृद्वि असंचयी रोके जाने का दंड प्रभावशील होने से।

3 **श्री आशाराम राठौर** की विचारण क्षेत्र में वर्ष 13–14 की चरित्रावली **ग–विपरीत** एंव वर्ष 14–15 की चरित्रावली **ग** श्रेणी होने एंव होने से।

4 **श्री एस0एस0 प्रजापति**, की विचारण क्षेत्र में वर्ष 13–14 की चरित्रावली **ग–विपरीत** एंव वर्ष 14–15 की चरित्रावली **ग** श्रेणी होने से।

5 **श्रीमति सुनीता राय**, की विचारण क्षेत्र में पांच वर्षो की चरित्रावली में वर्ष 2013–14 एंव 2014–15 की **ग** श्रेणी की चरित्रावली अंकित होने से।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

E:\Vidhansabha.doc